अध्ययन/ परामर्श/ अनुदान/ ब्याज मुक्त ऋण/ अध्ययन हेतु रिआयती ऋण/ परामर्शी समनुदेशन हेतु सहायता

1. अध्ययन के प्रकार

(क)पीएफ़सी के अपनेत स्त्रोतों के अंतर्गत:

योजना के अंतर्गत अनुदान, ब्याज मुक्त ऋण और रिआयती ऋण के रूप में सहायता हेतु, सभी प्रकार की विद्युत क्षेत्र संबंधित अध्ययन (सुधार/नवीनीकरण संबंधी अध्ययन सहित) और परामर्शी आवश्यकताएं मानी जाएंगी। एसईआरसी के संबंध में, अनुदान अध्ययन के लिए स्वीकृत है जो संस्थानगत फ्रेमवर्क, कम्प्यूटर की प्रोक्योरमेंट और सॉफ्टवेयर सहित संबंधी सहायक सामग्री और साथ ही सम्मेलन, वर्कशॉप और सेमिनार करने के लिए मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से है। तथापि, राज्य विद्युत क्षेत्र में निवेश के अवसर निर्मित करने वाली योजनाएओं/ परियोजनाओं के निर्माण के उद्देश्य से सुधार/ नवीनीकरण और परामर्शी समनुदेशनों से संबंधी अध्ययन को प्राथमिकता दी जाएगी।

(ख)अन्य स्त्रोतों के अंतर्गत:

बहुमुखी वित्तीय संस्थानों/ सहायता प्रदान करने वाली एजेंसीयां जो इस प्रकार की एजेंसीयों के साथ विशिष्ट करारों पर निर्भर विशिष्ट अध्ययन/ योजनाओं आदि हेतु उपलब्ध हैं।

2. पात्रता मानदंड

(क)पीएफ़सी संसाधन: सभी राज्य सरकार स्वामित्व/ नियंत्रित विद्युत क्षेत्र विद्युत संस्थाएं, राज्य सरकार, एसईआरसी(ओं) सहित राज्य ऊर्जा/ विद्युत विभाग (केवल अनुदान के लिए) पीएफ़सी के स्त्रोतों के निधियन हेतु पात्र होंगी बशर्ते योजना के अधीन निधियों की उपलब्धता हो। आवेदक या आवेदक के राज्य की राज्य सरकार को किसी वित्तीय सहायता और या सेवाओं के लिए पीएफ़सी को कोई बकाया राशि ओवरड्यू नहीं होनी चाहिए।

(ख)अन्य संसाधन: संबंधित एजेंसीयों द्वारा यथा निर्धारित।